

गुणवत्ता वाली विज्ञापन

अनवान

12/3/13

बकील उमयपल उपा वकील अपीलेंट
रं व अपीलेंट हेमराम द्वारा निवेदन
क्रिया गया कि वह उक्त अपील को
आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः
पञाबली नोटबेस में खारिज फरमाई
जावे। अपीलेंट के निवेदनसुरर पञाबली
नोट बेस में खारिज की जाती है।
पञाबली फैसल बुमार होकर बाद आबरपर
कार्यवाही हाथिल दफ्तर से।

2

अपीलेंट पक्ष
चाहते हैं

LA
हेमराम
कर्म

पट्टेचानकी

जिजिल कोर्ट

NO 100-26

53